

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267395
SG-DL-E-06112025-267395असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 333]
No. 333]दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/ कार्तिक 12, 1947
DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/ KARTIKA 12, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 311
[N. C. T. D. No. 311भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
(नीति एवं अनुसंधान शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

सं. 15/2025—राज्य कर

फा0 सं0 डीटीटी-डी011/30/2025-नीति-टीटी-व्यापार एवं कर विभाग- 590.— दिल्ली माल एवंसेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 44 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करनेके संबंध मेंएतद् द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को, जिसका किसी भी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष में वार्षिक विवरणी फाइल करने में छूट प्रदान करतेहैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नंदिनी पालीवाल, आयुक्त (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES**(Policy and Research Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 31st October, 2025

No. 15/2025-State Tax

F.No. DTT-D011/30/2025-Policy-TT-Trade and Taxes Department- 590.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, in respect of filing of annual return for the financial year 2024-25 onwards, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to two crore rupees, from filing annual return that said financial year.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
NANDINI PALIWAL, Commissioner (State Tax)